



राशिया  
(उपसंचालक कार्यालय)  
राजस्थान सरकार  
(जिला शिक्षा)  
[Signature]

उपरोक्त अनावाज से संबंधित प्रकरण में आपका 1000/- रुपया शिक्क पर कतिबंधन विहित किया जाकर आदेशित किया जाता है। पत्र संख्या 552/... की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में जारी कि शिक्षा की पुस्तक पढ़ायाई अगार और किस्ती प्रकार का कोई विवाद एवं किस्ती व्यापार्य इरा कोई स्थान प्रभावी न हो तो तथा और कि पत्र फसल खड़ी न हो तो पढ़ायाई की जावे, और कि पत्र किस्ती प्रकार का विवाद हो पत्र पढ़ायाई न हो कि जावे एवं इसी आशय का पत्र जारी करवाये। कतिबंधन शिक्क का रिकार्ड संघात किया जाकर पालना रिपोर्ट अथ पत्र जारी करवाये।

**--: प्रथम पत्र बाबत कसबे वाले पत्रावली :-:**

प्रथम पत्र संख्या :- 12/.../2023

**अपराध**

- 7. ....
- 6. ....
- 5. ....
- 4. ...कसबे वाले पत्रावली...
- 3. ...कसबे वाले पत्रावली...
- 2. ...कसबे वाले पत्रावली...
- 1. ...कसबे वाले पत्रावली...

**प्रथम**

- 5. ....
- 4. ....
- 3. ....
- 2. ...कसबे वाले पत्रावली...
- 1. ...कसबे वाले पत्रावली...

विषय :- बाबत पत्रावली।

राशिया  
तहसीलदार  
जिला,



क्रमांक/संख्या 5-08(12/2023/... दिनांक : 15/6/2023

**व्यापार्य सहायक कलेक्टर राशिया, जिला शिक्षा (राज.)**

दूरभाष (कार्यालय) :- 01471 226700 Email :- sdorashmi@gmail.com

